

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।

भोपाल दिनांक 03 / 11 / 2020

:::अधिसूचना:::

क्रमांक एफ-13-18/2020/बी-ग्यारह :: मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन्1973) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-


संशोधन

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998 के नियम 4 के अंतर्गत बनाई गई वर्तमान अनुसूची के बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, एवं 4 के स्थान पर, निम्नलिखित संशोधन प्रतिस्थापित किये जाये, अर्थात :-

अनुसूची
(नियम 4 देखिए)

फीस

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | धारा 7 के अधीन सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण | सामान्य रूपये 5000/-
तत्काल रूपये 8000/- |
| 2. | धारा 7 के अधीन महिला <u>मण्डल/युवक</u> मण्डल का रजिस्ट्रीकरण | सामान्य रूपये 2000/-
तत्काल रूपये 3000/- |
| 3. | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अधिसूचित अवैध कालोनियों के रहवासियों द्वारा गठित समितियों का रजिस्ट्रीकरण (यह प्रावधान अधिसूचना तारीख से 03 वर्ष के लिये लागू रहेगा) | विलोपित |
| 4. | धारा 10 के अधीन प्रत्येक संशोधन | रूपये 2000/-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार |



(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

// 2 //

1179
04-11-2020


(2)

पृष्ठा. क्रमांक एफ-13-18/2020/बी-ग्यारह,

भोपाल, दिनांक 03/11/2020

प्रतिलिपि :-

1. नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
 2. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 3. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
 4. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 5. समस्त सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

†